संख्या-146/आई/1407005/2026/89-1099/341/2023

प्रेषक,

मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, अलीगंज लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2026

विषय- पी0पी0पी0 मॉडल पर संचालित संस्थानों की प्रवेश क्षमता 2026 के सत्यापन एवं कम प्रवेश वाले व्यवसायों के स्थान पर नये व्यवसाय का चयन कर प्रवेश दिलाये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-538/तीन/वि0-4/पी0पी0पी0 मॉडल/2019-20 दिनांक 25.06.2026 एवं पत्र संख्या-आई/661383/2026/यू0पी0डी0टी0ई0/22/2026 दिनांक 01.07.2026 (प्रति संलग्न) के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया पी0पी0पी0 मॉडल पर संचालित निम्नांकित संस्थानों के स्तम्भ-3 में अंकित पूर्व से संचालित व्यवसाय के स्थान पर स्तम्भ-4 में प्रस्तावित व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की सैद्धान्तिक सहमति एतद्द्वारा प्रदान करती है:-

क्र०स०	संस्थान का नाम	पूर्व से संचालित व्यवसाय का नाम	नवीन व्यवसाय	यूनिटो की संख्या
1	2	3	4	5
1	सरेनी-लालगंज, रायबरेली	लैब असिस्टेन्ट	सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल)	2=(1+1)
2	बॉगरमऊ-उन्नाव	लैब असिस्टेन्ट	सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल)	2=(1+1)
3	शाहाबाद-हरदोई	डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर	सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल)	2=(1+1)
4	पैलानी-बांदा	लैब असिस्टेन्ट	फैशन डिजाईन एण्ड टेक्नोलॉजी	2=(1+1)
		डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर	सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल)	2=(1+1)
5	कसया-कुशीनगर	सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट	फैशन डिजाईन एण्ड टेक्नोलॉजी	2=(1+1)
6	मरहरा-एटा	हॉस्पिटल हाउस्कीपिंग	फायर टेक्नोलॉजी एण्ड इन्डस्ट्रीयल सेफ्टी मैनेजमेन्ट	2=(1+1)

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, अलीगंज, लखनऊ।
2. निदेशक (प्राविधिक), प्रादेशिक स्टाफ एवं शोध केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ।
3. संबंधित मण्डलीय, संयुक्त निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0), उ0प्र0।
4. नोडल प्रधानाचार्य, संबंधित जनपद।
5. संबंधित निजी सेवाप्रदाता।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।